

17.2.22

पञ्जावली पेश हुआ / पञ्जावली का
 धर्मपुत्रक अवलोकन किया / भाई शिव
 तिथि 18.1.18, 07.1.19, 27.3.19,
 3.7.19, 24.10.19 को न्यायालय सजा
 द्वारा पुनः लक्षणा पेश करने के आदेश
 जारी किए गए। परन्तु भादिकांक न्यायालय
 के आदेश भी पालना नहीं की गयी और
 न्यायालय को सजा सजा हुआ है।

अतः पञ्जावली अर्थात् आदेश का
 निष्पत्ति का C.C. के अन्तर्गत जाति की
 जाती उचित नहीं है। अतः जाति
 भी जाती है।

पञ्जावली केवल धुमा है नभक्त
 ले काफ की जाकर राजिम दफ्तर है।
 निम्नलिखित जाकर कुल न्यायालय में हुआ।

उपस्थित अधिकारी
 सौर लेक

